

**A-2034**

**B. Com. (Part III) EXAMINATION, 2017**

**(Compulsory)**

**Paper Second**

**INDIRECT TAXES**

*Time : Three Hours ]*

*[ Maximum Marks : 75*

*[Minimum Pass Marks : 25*

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the *five* questions. *One* question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

**इकाई—1**

**(UNIT—1)**

1. निम्नलिखित शब्दों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में किस प्रकार परिभाषित किया गया है :

(अ) उत्पादन शुल्क योग्य माल (कर योग्य माल)

(ब) कर-निर्धारण मूल्य

(स) माल

How the following terms have been defined under the Central Excise Act ?

- (a) Excisable Goods
- (b) Assessable Value
- (c) Goods

अथवा

(Or)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के विभिन्न आधारों का उल्लेख कीजिए एवं संव्यवहार मूल्य की व्याख्या कीजिए।

Mention the various bases for imposition of excise duty and explain the concept of transaction value.

इकाई—2

(UNIT—2)

2. मादक पदार्थों के निर्माण, कब्जा (आधिपत्य) एवं विक्रय से सम्बन्धित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Explain in brief the provisions of Chhattisgarh Excise Act relating to manufacture, possession and sale of intoxicants.

अथवा

(Or)

एक भण्डार गृह से निम्नलिखित मादक पदार्थ वर्ष में निर्गमित किये गये। आबकारी शुल्क की गणना छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से कीजिए :

- |   |                  |
|---|------------------|
| (i) देशी मदिरा सादी   | 8900 प्रूफ लीटर  |
| (ii) देशी मदिरा मसालेदार  | 17100 प्रूफ लीटर |
| (iii) अधिकृत मिलिट्री संगठन को व्हिस्की<br>(कारखाना द्वारा मूल्य ₹ 850 प्रति केस) | 4800 प्रूफ लीटर  |
| (iv) भाँग घोंटा की दुकान के लिए अनुज्ञापतिधारी<br>को भाँग                         | 800 किलोग्राम    |

(v) दुर्ग के लायसेंसधारी व्यापारी को शराब (कारखाना द्वार मूल्य ₹ 935 प्रति केस)	12000 प्रूट लीटर
(vi) दुर्ग के व्यापारी को भाँग	2050 किलोग्राम
(vii) अधिकृत मिलिट्री केन्टीन को बीयर	2520 बल्क लीटर
(viii) दुर्ग के बीयर बार को बीयर	12096 बल्क लीटर
(ix) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस केन्टीन को बीयर	38200 बल्क लीटर
(x) ठेकेदारों को विदेशी शराब	4600 प्रूफ लीटर

The following intoxicants were issued from a warehouse during the year. Compute the amount of excise duty payable under Chhattisgarh Excise Act :

(i) Plain country liquor	8900 Proof litres
(ii) Spiced country liquor	17100 Proof litre
(iii) Whisky to authorised Military organisation (Ex-factory rate ₹ 850 per case)	4800 Proof litre
(iv) Bhang to licenceholder for shop of Bhang Ghota	800 kilograms
(v) Wine to licenceholder Durg Trader (Ex-factory rate ₹ 935 per case)	12000 Proof litres
(vi) Bhang to Durg Trader	2050 kilograms
(vii) Beer to Authorised Military Canteen	2520 Bulk litre
(viii) Beer to Beer Bar Durg	12096 Bulk litre
(ix) Beer to Indo-Tibet Border Police	38200 Bulk litre
(x) Foreign liquor to contractors	4600 Proof litres

## इकाई—3

## (UNIT—3)

3. सीमा शुल्क की गणना के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क ज्ञात करने की विधि समझाइए।

Discuss the method of computation of various types of Customs Duty.

अथवा

(Or)

बैंगलोर की एक कम्पनी चेंकी एण्टरप्राइजेस ने एक मशीन इंग्लैण्ड से मार्च, 2016 में आयात की। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है :

(i)	मशीन का मूल्य	8025 पौण्ड
(ii)	मशीन के डिजाइन व्यय अलग से चार्ज किये गये	600 पौण्ड
(iii)	मशीन का भाड़ा	150 पौण्ड
(iv)	मशीन के लिए आयातक ने विदेशी निर्यातक को कच्चा माल भारत से भेजा	₹ 41,250
(v)	बन्दरगाह से कारखाने तक मशीन के परिवहन व्यय	₹ 9,000
(vi)	निर्यातक को आयात के बाद तकनीकी सेवा शुल्क अलग से भुगतान किया	700 पौण्ड
(vii)	पैकिंग व्यय एवं बीमा प्रीमियम	75 पौण्ड
(viii)	कारखाने में मशीन की स्थापना व्यय	₹ 58,000

सीमा शुल्क निर्धारण के लिए मशीन का करयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए यदि—

- (अ) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर 1 पौण्ड = ₹ 58.6
- (ब) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ एक्ट की धारा 14 (3) के अन्तर्गत अधिसूचित दर 1 पौण्ड = ₹ 55.7

## इकाई—4

## (UNIT—4)

4. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीकरण से सम्बन्धित प्रावधानों एवं नियमों का वर्णन कीजिये।

Describe the provisions and rules regarding registration of dealers under the Central Sales Tax Act.

अथवा

(Or)

मेसर्स पटेल ब्रदर्स, सरगुजा (छत्तीसगढ़) के एक पंजीकृत व्यापारी हैं। 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही के सम्बंध में उन्होंने निम्नलिखित विक्रय विवरण प्रस्तुत किया :

	₹
(i) लहसुन का चेन्नई के व्यापारी को विक्रय	2,72,000
(ii) भारतीय खाद्य निगम को छत्तीसगढ़ में गेहूँ का विक्रय	2,60,000
(iii) बिहार सरकार को पशु आहार का विक्रय	1,66,400
(iv) दिल्ली के पंजीकृत व्यापारी को बिना फॉर्म 'C' आभूषणों का विक्रय (राज्य में 1% की दर से कर-योग्य)	4,84,000
(v) आगरा के व्यापारी को 'C' फॉर्म लेकर माल का विक्रय (इसमें से 6 माह के भीतर ₹ 20,000 का एवं 6 माह के बाद ₹ 15,000 का माल वापस आया। राज्य में कर की दर 14.5% है।)	4,36,000
(vi) मुम्बई के पंजीकृत व्यापारी को बिना C फॉर्म तिलहन का विक्रय (राज्य में कर की दर 4%)	7,29,000

- |        |   |          |
|--------|---|----------|
| (vii)  | मेंथी का बंगलादेश को निर्यात (राज्य में कर की दर 5%)  | 2,08,000 |
| (viii) | चंडीगढ़ (हरियाणा) से ₹ 72,000 मूल्य का माल खरीदा और माल के मार्ग में होने के दौरान ही दिल्ली के एक पंजीकृत व्यापारी को बिल्टी के हस्तांतरण द्वारा ₹ 80,000 में बेचा (राज्य में दर 5%) |          |
| (ix)   | हैदराबाद शाखा को माल भेजा (फॉर्म F पर) (छत्तीसगढ़ में इस माल पर 14.5% की दर से कर लगता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में 5% है)  | 1,52,000 |
| (x)    | राज्य में रासायनिक उर्वरकों का विक्रय पंजीकृत व्यापारियों को (कर की दर 5%)  | 2,60,000 |

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य विक्रय ज्ञात कीजिए।

M/s. Patel Brothers, Sarguja (Chhattisgarh) is a registered dealer. He furnished the following particulars about his sales during the quarter ended 31-12-2015 :

- |       |   |          |
|-------|---|----------|
|       | ₹   |          |
| (i)   | Sales of Garlic to Chennai dealer   | 2,72,000 |
| (ii)  | Wheat to Food Corporation of India in Chhattisgarh                              | 2,60,000 |
| (iii) | Cattlefeed to Bihar Government  | 1,66,400 |
| (iv)  | Ornaments to registered dealer of Delhi without Form 'C' (Tax rate in state 1%) | 4,84,000 |

- |  |          |
|--|----------|
| (v) Sales to dealer of Agra on Form 'C' (Out of it goods ₹ 20,000 returned within six months and ₹ 15,000 after six months. Tax rate in state 14.5%)   | 4,36,000 |
| (vi) Sales of Oil seeds without 'C' form to a registered dealer of Mumbai (Tax Rate in State 4%)   | 7,29,000 |
| (vii) Export of Methi to Bangladesh (Tax Rate 5%)  | 2,08,000 |
| (viii) Goods worth ₹ 72,000 was purchased from Chandigarh (Haryana) but while the goods was in transit, it was sold to registered dealer of Delhi by transferring the title deeds of goods for ₹ 80,000. (State rate 5%) |          |
| (ix) Goods sent to Hyderabad Branch on Form F. (Tax Rate in Chhattisgarh for these goods 14.5% but 5% in Andhra Pradesh)   | 1,52,000 |
| (x) Sales of chemical fertilizers in state to Registered dealers (Tax Rate 5%)   | 2,60,000 |

Compute Taxable Turnover under C. S. T.

इकाई—5

(UNIT—5)

5. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम में अर्थदण्ड एवं अभियोजन सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Describe the provisions relating to penalties and prosecutions under Chhattisgarh Commercial Tax.

अथवा

(Or)

मैसर्स पी. ए. इन्टरप्राइजेस, कवर्धा के विक्रय का विवरण निम्नलिखित है :

	₹
(i) मोटरसाइकल्स (मुम्बई से क्रय, कर दर 12%)	15,40,000
(ii) दवाइयाँ (छत्तीसगढ़ के पंजीयत व्यापारी से क्रय, कर दर 8%)	5,76,800
(iii) ट्रैक्टर (कर की दर 4%)	7,00,000
(iv) टायर-ट्यूब्स (दिल्ली से क्रय, कर दर 12%)	7,84,000
(v) साइकलें (उ. प्र. से क्रय, कर दर 4%)	6,16,000
(vi) दवाइयाँ (अन्तर्राज्यीय व्यापार में विक्रय एवं कर दर 8%)	2,88,400
(vii) सीमेण्ट (12% महाराष्ट्र से क्रय)	5,04,000
(viii) पैकिंग का सामान (छत्तीसगढ़ की अपंजीकृत फर्म से क्रय, कर दर 8%)	2,94,000

आपको निम्नलिखित सूचनायें और प्रदान की गई :

- (अ) पैकिंग के सामान पर ₹ 2,800 का रोकड़ बढ़ा दिया गया, जो कि विक्रय मूल्य में सम्मिलित है।
- (ब) ₹ 58,800 की सीमेण्ट ग्राहकों ने खरीदने के 6 माह के अन्दर लौटा दी।

(स) उपर्युक्त कर की दरों के अलावा 15% अधिभार भी देय है।

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित ज्ञात कीजिए :

- (i) सकल विक्रय
- (ii) शुद्ध विक्रय
- (iii) शुद्ध कर योग्य विक्रय



Sales particulars of Messers P. A. Enterprises, Kawardha in as under :

	₹
(i) Motorcycles (Purchased from Mumbai, Tax rate 12%)	15,40,000
(ii) Medicines (Purchased from Registered dealer of Chhattisgarh, Tax Rate 8%)	5,76,800
(iii) Tractors (Tax Rate 4%)	7,00,000
(iv) Tyre and Tubes (Purchased from Delhi Tax rate 12%).	7,84,000
(v) Cycles (Purchased from U. P., Tax rate 4%)	6,16,000
(vi) Medicines (Sold in course of interstate trade and Tax rate 8%)	2,88,400
(vii) Cement (12% Purchased from Maharashtra)	5,04,000
(viii) Packing materials (Purchased from unregistered firm of Chhattisgarh, Tax rate 8%)	2,94,000

You have been given the following additional informations :

- Cash discount of ₹ 2,800 was allowed on the packing materials which is included in the sale price.
- Cement worth ₹ 58,800 was returned by customers within six months of purchases.

- (c) 15% Surcharge is also payable beside aforesaid tax rates.

Compute the following under the Chhattisgarh Commercial Tax Act :

- (i) Gross Turnover
- (ii) Net Turnover
- (iii) Net Taxable Turnover